पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital Signature)/(2017-18) / 634 / राज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: जुलाई 13 ,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-629 दिनांक 12-07-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिन अधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर GSTN Portal पर रजिस्टर करते समय **"Your digital signature is not PAN based"** की Error आ रही है वह अपने डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस (पेन ड्राइव) को एक लिफाफे में बन्द कर तथा लिफाफे के ऊपर अपना **नाम, पदनाम, Employee ID, जन्म तिथि एवं मोबाइल नम्बर** अंकित करते हुए Special Messenger के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 14-07-2017(शुक्रवार) की सायंकाल तक आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित कराने के निर्देश दिये गये हैं ।वर्तमान में रजिस्ट्रेशन जारी करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 12-07-2017 को आंशिक रुप से संशोधित करते हुए निम्नवत स्पष्ट किया जा रहा है :-

उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि:-

1- ऐसे अधिकारी जिनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट GSTN Portal पर रजिस्टर करते समय **"Your digital signature is not PAN based"** की Error आ रही है वह अपने डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस (पेन ड्राइव) के साथ नीली इंक से पूर्ण रुप से भरा हुआ डिजिटल सिग्नेचर से सम्बन्धित प्रारुप (प्रारुप संलग्न) प्रेषित करें । डिजिटल सिग्नेचर से सम्बन्धित प्रारुप uplc.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

2- उक्त प्रारुप के साथ PAN की स्वच्छ छाया प्रति संलग्न हो तथा आवेदन पत्र पर किया गया हस्ताक्षर PAN के हस्ताक्षर के समान हो । अधिकारी कृपया इस बात का ध्यान रखें कि फार्म पर वही नाम भरा जाये जो PAN पर अंकित हो ।

3- प्रत्येक अधिकारी अलग-अलग लिफाफे में अपना डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस (पेन ड्राइव), पूर्ण रुप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डिजिटल सिग्नेचर फार्म, PAN की स्पष्ट छाया प्रति जोनल एडीशनल कमिश्नर कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे ।

4- जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर Class-II कैटेगरी का N-code Solution pvt.ltd. के माध्यम से PAN आधार पर अपग्रेड कराने हेतु अनुमति दे सकते हैं मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार जोन को मद संख्या-46 में बजट आवंटित कर दिया जायेगा । यदि स्थानीय स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर अपडेट कराये जाते हैं तो निम्न सूचना निर्धारित प्रारुप में आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा ।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अधिकारी का PAN	Customer Identification number(CIN)	Employee ID

कृपया अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।